प्रषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय:- क्राइस्टचर्च डायसेसन स्कूल, कलेक्ट्रिएट रोड, पटना को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है:-

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "डायसेसन एजुकेशनल सोसाईटी" भागलपुर के द्वारा किया जाता है। शपथ के द्वारा नहीं बताया गया है कि संस्था में एक व्यक्ति अथवा परिवार का प्रभुत्व नहीं है। अनिवार्य शर्त यह के अनुसार विद्यालय को यह सूचना दी जानी है। सभी सदस्यों का व्यवसाय शिक्षा विद्द अथवा Priest बताया गया है। शिक्षा विद्द अथवा Priest सामान्य शब्द है, जिससे पेशा के सन्दर्भ में वास्तविक स्थिति स्पष्ट नही होती है। इसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी के रूप में स्थापित नहीं होने की सूचना दी है परन्तु विद्यालय किसी अन्य विद्यालय के brand name का उपयोग नही करेगा, यह सूचना नही दी गयी है। इस संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को विद्यालय से स्थिति स्पष्ट करा लेनी होगी। विद्यालय के नाम से आम जनता में भ्रम न उत्पन्न हो इसे ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0 सी0 संख्या 3007/2005 अशोक कुमार बनाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 09.03.2005 को पारित न्यायादेश (न्यायदेश की प्रति संलग्न) को भी संज्ञान में लिया जाना उचित होगा।

3. विद्यालय के द्वारा भूमि एवं भवन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप होने का दावा किया गया है। विद्यालय के द्वारा आधारभूत संरचना एवं सुविधाओं के मानक के अनुरूप होने के दावे की जाँच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को अपने निरीक्षण दल के द्वारा करा लेनी होगी।

4. विद्यालय में 28 शिक्षक है। जिनमें 5 प्रशिक्षित है। शिक्षकों की योग्यता NCTE के मापदण्ड के अनुरूप रखने तथा शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से विहित प्रक्रिया के अनुसार करने की सूचना दी गयी है। लेकिन साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि शिक्षकों की योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है, तथा उनकी नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है। विद्यालय में अधिकतर अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालय का दावा सन्दिग्ध हो जाता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में शिक्षकों की योग्यता NCTE के अनुरूप हो तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाल कर की गयी हो।

5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है।

Principal
Christ Church Diocesan School
Collectorate Road, Patna

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, अन्य शुल्क, वार्षिक लेखा, अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गयी है। लेकिन विद्यालय के द्वारा निर्धारित शुल्कादि के संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गयी है। नियमित रूप से लेखा के संदर्भ में सूचना सार्वजनिक किये जाने का साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिए।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उस विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है। अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

(i) विद्यालय में क्षमता का 25% नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/- रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के॰जी॰ अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के॰जी॰ तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इनका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा।

10. शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर अंकित शर्तों के आधार पर क्राइस्टचर्च डायसेसन स्कूल, कलेक्टिरीयट रोड, पटना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है।

12. विद्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 10.05.2006 की छायाप्रति संलग्न है।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन

ह॰/-

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक - 632 पटना, दिनांक : 7.10.08

प्रतिलिपि - प्राचार्य, क्राइस्टचर्च डायसेसन स्कूल, कलेक्टिरीयट रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Principal
Christ Church Diocesan School
Collectorate Road, Patna 800 001

5/10/08

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा